[2018] 3 उम. नि. प. 448

मोहम्मद अली

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य

16 अप्रैल, 2018

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) – धारा 25ख और 25च – छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें – एक वर्ष की निरन्तर सेवा – यदि किसी कर्मकार ने अपनी सेवोन्मुक्ति से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में निरन्तर 240 दिनों से कम कार्य किया है तो वह धारा 25च का फायदा लेने का हकदार नहीं होगा भले ही उसने इससे पूर्व कतिपय वर्षों के दौरान एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों से अधिक कार्य किया हो ।

प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी ने वर्ष 1980 के दौरान एग्रीकल्चर सीड मल्टीप्लाइकेशन फार्म भागनी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में मस्टर रोल पर आकस्मिक मजदूर के रूप में नियोजित था । उसने विभिन्न संकर्म स्कीमों, अर्थात् रबी और खरीफ के अधीन वर्ष 1991 तक इस रूप में कार्य किया और वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1986 से 1989 के दौरान एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे किए थे । प्रत्यर्थियों का यह पक्षकथन है कि अपीलार्थी ने नियोजन की अवधि के दौरान निम्न प्रकार कार्य किया था :–

क्रम सं.	वर्ष	कार्य करने के दिन
1.	1980	299
2.	1981	297.5
3.	1982	289.5
4.	1983	126
5.	1984	4.5
6.	1985	227
7.	1986	292
8.	1987	284.5

9.	1988	282
10.	1989	258
11.	1990	195
12.	1991	19.5

प्रत्यर्थियों का यह पक्षकथन भी है कि इसके पश्चात् उसने सीड मल्टीप्लाइकेशन फार्म भागनी के भारसाधक को सूचित किए बिना कार्य छोड़ दिया और काम पर कभी वापस नहीं आया । वर्ष 2005 में, इस अपीलार्थी ने राज्य सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अधीन निर्देश करने के लिए अभ्यावेदन किया । राज्य सरकार ने अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसरण में, औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय को निर्देश किया । विद्वान् पीठासीन न्यायाधीश ने, अपीलार्थी के पक्ष में अधिनिर्णय दिया और अपीलार्थी को पिछली मजदूरी से इनकार करते हुए प्रत्यर्थी-राज्य को उसे ज्येष्ठता और निरन्तरता सहित सेवा में बहाल करने का निदेश दिया । प्रत्यर्थी-राज्य ने इससे व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका मंजूर कर ली और अधिकरण के अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया । अपीलार्थी ने विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष लैटर्स पेटेंट अपील फाइल की । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के विनिश्चय को कायम रखते हुए, लैटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने विशेष इजाजत लेकर इस न्यायालय के समक्ष यह अपील फाइल की है । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह सुज्ञात तथ्य है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम एक कल्याणकारी विधान है । इस अधिनियम के अधिनियमन के पीछे आशय कर्मचारियों को मनमानी छंटनी से संरक्षित करना था । मात्र इस कारणवश, ऐसे किसी कर्मचारी की छंटनी की दशा में, जिसने एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कार्य किया है, धारा 25च में कर्मचारी को छंटनी के कारण उपदर्शित करते हुए एक मास की पूर्व सूचना दिए जाने के रूप में एक सुरक्षोपाय का उपबंध किया गया है और उसमें सूचना की अवधि के लिए मजदूरी का भी उपबंध किया गया है । अधिनियम की धारा 25ख में

यह उपबंधित है कि किसी व्यक्ति के बारे में कब यह कहा जा सकता है कि उसने एक वर्ष के लिए कार्य किया है और उक्त उपबंधों के पठन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने पिछले पूर्व वर्ष में 240 दिन की अवधि के लिए कार्य किया है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने एक वर्ष के लिए कार्य किया है । निरन्तर सेवा के लिए 240 दिन का सिद्धांत यह है कि किसी कर्मकार को एक वर्ष की अवधि के लिए निरन्तर सेवा में समझा जाता है यदि उसने छंटनी की तारीख से पूर्व के बारह कैलेंडर मास की कालावधि के दौरान 240 से अन्यून दिन नियोजन के लिए वास्तव में काम किया है । (पैरा 9)

यह एक स्वीकृत स्थिति है कि यद्यपि अपीलार्थी ने भिन्न-भिन्न संकर्मों/स्कीमों, अर्थात् रबी और खरीफ के अधीन वर्ष 1991 तक इस रूप में कार्य किया था और उसने केवल 1980, 1981, 1982 और 1986 से 1989 तक के वर्षों के दौरान एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे किए थे किन्तु उसने वर्ष 1990 में केवल 195 दिनों और अपनी सेवोन्मुक्ति के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में 19.5 दिनों के लिए कार्य किया जो कि सेवोन्मुक्ति की तारीख से पूर्व के 12 कैलेंडर मासों की अवधि में 240 दिनों तक कार्य करने की अपेक्षा से कम है, इसलिए वह अधिनियम की धारा 25च के उपबंधों का फायदा लेने के लिए हकदार नहीं है तथा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने प्रस्तुत अपीलार्थी की अपील खारिज करके सही किया था । (पैरा 12)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1982] [1982] 2 उम. नि. प. 8 =
(1981) 3 एस. सी. सी. 225 :
मोहन लाल बनाम **मैसर्स भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का प्रबंधतंत्र** ; 11

[1981] [1981] 3 उम. नि. प. 996 =
(1980) 4 एस. सी. सी. 443 :
सुरेन्द्र कुमार वर्मा और अन्य बनाम **केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नई दिल्ली और एक अन्य** । 10

सिविल अपीली अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 3803.

2011 की लैटर्स पेटेंट अपील सं. 209 में हिमाचल प्रदेश उच्च

न्यायालय की शिमला न्यायपीठ के तारीख 18 नवम्बर, 2013 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री एम. सी. ढींगरा, अश्विन कुमार गुप्ता, गौरव ढींगरा और पीयुष कांत राय

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री डी. के. ठाकुर, अपर महाधिवक्ता और वीरेन्द्र कुमार शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल ने दिया ।

न्या. अग्रवाल – इजाजत दी जाती है ।

2. प्रस्तुत अपील 2011 की लैटर्स पेटेंट अपील सं. 209 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की शिमला न्यायपीठ की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 18 नवम्बर, 2014 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इस मामले में के अपीलार्थी द्वारा 2009 की सिविल रिट याचिका सं. 3761 में विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 7 जुलाई, 2010 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील खारिज कर दी थी ।

3. **संक्षिप्त तथ्य** :–

(क) मोहम्मद अली, जो कि इस मामले में अपीलार्थी है, वर्ष 1980 के दौरान एग्रीकल्चर सीड मल्टीप्लाइकेशन फार्म भागनी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में मस्टर रोल पर आकस्मिक मजदूर के रूप में नियोजित था । उसने विभिन्न संकर्म स्कीमों, अर्थात् रबी और खरीफ के अधीन वर्ष 1991 तक इस रूप में कार्य किया और वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1986 से 1989 के दौरान एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे किए थे ।

(ख) प्रत्यर्थियों का यह पक्षकथन है कि अपीलार्थी ने नियोजन की अवधि के दौरान निम्न प्रकार कार्य किया था :–

क्रम सं.	वर्ष	कार्य करने के दिन
1.	1980	299
2.	1981	297.5
3.	1982	289.5
4.	1983	126

5.	1984	4.5
6.	1985	227
7.	1986	292
8.	1987	284.5
9.	1988	282
10.	1989	258
11.	1990	195
12.	1991	19.5

प्रत्यर्थियों का यह पक्षकथन भी है कि इसके पश्चात् उसने सीड मल्टीप्लाइकेशन फार्म भागनी के भारसाधक को सूचित किए बिना कार्य छोड़ दिया और काम पर कभी वापस नहीं आया ।

(ग) वर्ष 2005 में, इस मामले में के अपीलार्थी ने राज्य सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 10 के अधीन निर्देश करने के लिए अभ्यावेदन किया । राज्य सरकार ने, प्रस्तुत मामले में के अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसरण में, औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय शिमला को 2005 का निर्देश सं. 9 किया ।

(घ) विद्वान् पीठासीन न्यायाधीश ने, इस मामले में के अपीलार्थी के पक्ष में तारीख 23 अप्रैल, 2009 का अधिनिर्णय दिया और अपीलार्थी को पिछली मजदूरी से इनकार करते हुए प्रत्यर्थी-राज्य को उसे ज्येष्ठता और निरन्तरता सहित सेवा में बहाल करने का निदेश दिया ।

(ङ) प्रत्यर्थी-राज्य ने इससे व्यथित होकर उच्च न्यायालय की शिमला न्यायपीठ के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की, जो कि 2009 की सिविल रिट याचिका सं. 3761 है । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने तारीख 7 जुलाई, 2010 के निर्णय और आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका मंजूर कर ली और तारीख 23 अप्रैल, 2009 के अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया ।

(च) अपीलार्थी ने विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष लैटर्स पेटेंट अपील फाइल की ।

उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने तारीख 18 नवम्बर, 2014 के निर्णय और आदेश द्वारा विद्वान् एकल न्यायाधीश के विनिश्चय को कायम रखते हुए, लैटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी ।

(छ) उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने विशेष इजाजत लेकर इस न्यायालय के समक्ष यह अपील फाइल की है ।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउन्सेल श्री एम. सी. ढींगरा और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री डी. के. ठाकुर को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

विचारार्थ मुद्दे

5. प्रस्तुत मामले में जो संक्षिप्त प्रश्न विचारार्थ उद्भूत होता है वह यह है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में कोई हस्तक्षेप करने की अपेक्षा है ।

परस्पर-विरोधी दलीलें

6. प्रारंभ में, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी कि अपीलार्थी की सेवोन्मुक्ति से अधिनियम की धारा 25ख के साथ पठित धारा 25च के उपबंधों का अतिक्रमण होता है । विद्वान् काउन्सेल ने इसके अलावा यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 25च के साथ धारा 25ख का गलत निर्वचन किया । इसके अलावा, यह दलील दी गई थी कि यह आवश्यक नहीं है किसी कर्मकार ने अपने हटाए जाने से ठीक पूर्व वाली 12 मास की अवधि के दौरान 240 दिन पूरे किए हों । इसके विपरीत, उसने यह तर्क दिया कि चूंकि अपीलार्थी ने अपने नियोजन के किसी कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की सेवा पूरी कर ली है इसलिए वह अधिनियम की धारा 25च के उपबंधों के फायदे के लिए हकदार बन जाता है ।

7. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी कि इस मामले में के अपीलार्थी की सेवा से छंटनी नहीं की गई थी बल्कि अपीलार्थी ने स्वयं कार्य करना छोड़ दिया था । इसके अलावा, यह दलील दी गई थी कि इस मामले में के अपीलार्थी ने 12 (बारह) वर्ष से अधिक के विलंब के पश्चात् राज्य सरकार के समक्ष समावेदन किया जिसे प्रस्तुत अपीलार्थी द्वारा समुचित रूप से स्पष्ट नहीं

किया गया था । अतः, प्रस्तुत अपीलार्थी ने अपने कृत्य के प्रति उपेक्षा बरती थी और इस न्यायालय द्वारा इस मामले में किसी हस्तक्षेप की ईप्सा नहीं की गई थी ।

विचार-विमर्श

8. इस प्रक्रम पर, विवादगत विषय का मूल्यांकन करने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 25च और धारा 25ख के सुसंगत प्रभाग को उद्धृत करना आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित रूप में हैं :–

> **"25च. कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें – किसी उद्योग में नियोजित किसी भी कर्मकार की, जो नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, छंटनी उस नियोजक द्वारा तब के सिवाय नहीं की जाएगी, जबकि –**
>
> (क) कर्मकार को एक महीने की ऐसी लिखित सूचना दे दी गई हो जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए हों और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो, या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी दे दी गई हो ;
>
> (ख) कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो जो निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिए या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर हो, तथा
>
> (ग) सूचना की तामील समुचित सरकार पर या ऐसे प्राधिकारी पर, जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विहित रीति से कर दी गई हो ।
>
> **25ख. निरन्तर सेवा सी परिभाषा** – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, –
>
> (1) यह बाद कि कर्मकार किसी कालावधि में निरन्तर सेवा में रह चुका है उस दशा में कही जाएगी जिसमें कि वह उस कालावधि अविच्छिन्न सेवा में रहे, जिसके अंतर्गत वह सेवा आती है जो रूग्णता या प्राधिकृत छुट्टी या दुर्घटना या ऐसी हड़ताल के कारण जो अवैध न हो या तालाबन्दी या काम के ऐसे बन्द हो जाने के कारण, जो कर्मकार के किसी कसूर की वजह से न हो, विच्छिन्न हो गई है ;
>
> (2) जहां कि कर्मकार एक वर्ष या छह मास की कालावधि के

लिए खंड (1) के अर्थ के अन्दर निरन्तर सेवा में नहीं रहा है, वहां –

(क) **यदि उसने, उस तारीख से, जिसके प्रति निर्देश से गणना की जानी है, पूर्व के बारह कैलेंडर मास की कालावधि के दौरान –**

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में, जो खान में भूमि के नीचे नियोजित है, एक सौ नब्बे से, तथा

(ii) **किसी अन्य दशा में, दो सौ चालीस से,**

अन्यून दिन, किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है तो यह समझा जाएगा कि वह छह मास की कालावधि के लिए, उस नियोजन के अधीन निरन्तर सेवा में रह चुका है ;

(ख) यदि उसने उस तारीख से, जिसके प्रति निर्देश से गणना की जानी है, पूर्व के छह कैलेंडर मास की कालावधि के दौरान –

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में, जो खान में भूमि के नीचे नियोजित है, पचानवे से, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, एक सौ बीस से,

अन्यून दिन, किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है तो यह समझा जाएगा कि वह छह मास की कालावधि के लिए, उस नियोजन के अधीन निरन्तर सेवा में रह चुका है ।

स्पष्टीकरण – खंड (2) के प्रयोजनों के लिए, उन दिनों की, जिनको कर्मकार ने नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है, संख्या में वे दिन भी सम्मिलित होंगे, जिनको –

(i) उसकी किसी करार के अधीन या औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) के अधीन बनाए गए स्थायी आदेशों द्वारा या इस अधिनियम के अधीन या उस औद्योगिक स्थापन को लागू किसी अन्य विधि के अधीन यथा-अनुज्ञात कामबन्दी की गई है ;

(ii) वह पूर्व वर्षों उपार्जित पूरी मजदूरी वाली छुट्टी पर रहा है ;

(iii) वह अपने नियोजन से और उसके अनुक्रम में, उद्भूत दुर्घटना द्वारा कारित अस्थायी निःशक्तता के कारण अनुपस्थित रहा है ; तथा

(iv) नारी की दशा में, वह प्रसूति छुट्टी पर रही है, किन्तु ये

दिन ऐसे सम्मिलित होंगे कि ऐसी प्रसूति छुट्टी की कुल कालावधि बारह सप्ताह से अधिक न हो ।"

9. यह सुज्ञात तथ्य है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम एक कल्याणकारी विधान है । इस अधिनियम के अधिनियमन के पीछे आशय कर्मचारियों को मनमानी छंटनी से संरक्षित करना था । मात्र इस कारणवश, ऐसे किसी कर्मचारी की छंटनी की दशा में, जिसने एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कार्य किया है, धारा 25च में कर्मचारी को छंटनी के कारण उपदर्शित करते हुए एक मास की पूर्व सूचना दिए जाने के रूप में एक सुरक्षोपाय का उपबंध किया गया है और उसमें सूचना की अवधि के लिए मजदूरी का भी उपबंध किया गया है । अधिनियम की धारा 25ख में यह उपबंधित है कि किसी व्यक्ति के बारे में कब यह कहा जा सकता है कि उसने एक वर्ष के लिए कार्य किया है और उक्त उपबंधों के पठन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने पिछले पूर्व वर्ष में 240 दिन की अवधि के लिए कार्य किया है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने एक वर्ष के लिए कार्य किया है । निरन्तर सेवा के लिए 240 दिन का सिद्धांत यह है कि किसी कर्मकार को एक वर्ष की अवधि के लिए निरन्तर सेवा में समझा जाता है यदि उसने छंटनी की तारीख से पूर्व के बारह कैलेंडर मास की कालावधि के दौरान 240 से अन्यून दिन नियोजन के लिए वास्तव में काम किया है ।

10. **सुरेन्द्र कुमार वर्मा और अन्य** बनाम **केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नई दिल्ली और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने अधिनियम की धारा 25ख के अधीन यथा-अनुध्यात 240 दिन के सिद्धांत पर अत्यंत सुस्पष्ट रूप से विचार किया । उक्त निर्णय के सुसंगत पैराओं को इसमें इसके नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> 8. ..... यह उपबंध काफी स्पष्ट प्रतीत होता है । धारा 25च में यह अपेक्षा की गई है कि उस उपबंध के लागू होने के पूर्व कर्मकार को नियोजक के अधीन एक वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए सेवा में होनी चाहिए । ऐसा होने पर भी धारा 25ख(2), जैसी कि वह अब है, लागू हो जाती है और उसमें यह कथित किया गया है कि यदि कोई कर्मकार एक वर्ष की कालावधि के लिए किसी नियोजक के अधीन निरन्तर सेवा में न भी हो, तो उसके बारे में यह

[1] [1981] 3 उम. नि. प. 996 = (1980) 4 एस. सी. सी. 443.

समझा जाएगा कि वह एक वर्ष की कालावधि के लिए उस नियोजक के अधीन सेवा में रह चुका है, यदि उसने वास्तव में पूर्ववर्ती बारह मासों के दौरान उस नियोजक के अधीन दो सौ चालीस दिनों के लिए काम किया हो । यह अनुबंधित नहीं है उसे बारह मास की संपूर्ण कालावधि के लिए नियोजक के अधीन नियोजन या सेवा में होना चाहिए । वस्तुतः, उपबंध का सार यह है कि यह जरूरी नहीं है कि वह बारह मास की संपूर्ण अवधि में ऐसी सेवा में हो । किसी अन्य स्रोत से कोई निर्वचन किए बिना यही स्पष्ट अर्थ प्रतीत होता है ।

9. अब, धारा 25ख सदैव ही इस प्रकार नहीं थी । 1964 के अधिनियम 36 के पूर्व वह इस प्रकार थी –

> "धारा 25च और 25चच के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे कर्मकार के बारे में जिसने कि बारह कैलेंडर मासों की अवधि के दौरान किसी उद्योग में दो सौ चालीस दिनों से अन्यून अवधि के लिए वास्तव में कार्य किया हो यह समझा जाएगा कि उसने उस उद्योग में एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है ।
>
> **स्पष्टीकरण** – ....."

पुरानी धारा 25ख और वर्तमान धारा 25ख के बीच का अंतर स्पष्ट है । जितनी महत्वपूर्ण यह बात है कि वर्तमान धारा 25ख(2) "जहां कि कर्मकार एक वर्ष.... की कालावधि के लिए निरन्तर सेवा में नहीं रहा है" पद से प्रारंभ होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी धारा 25ख में यह पद प्रयुक्त नहीं किया गया था । इस परिस्थिति का भी इतना ही महत्व है कि 1964 के अधिनियम 36 से पूर्व "निरन्तर सेवा" पद धारा 2(ङङङ) द्वारा पृथक् रूप से परिभाषित किया गया था, जो कि इस प्रकार थी –

> "(ङङङ) निरन्तर सेवा से अविच्छिन्न सेवा अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत वह सेवा आती है जो रूग्णता या प्राधिकृत छुट्टी या दुर्घटना या ऐसी हड़ताल के कारण जो अवैध न हो या तालाबन्दी या काम के ऐसे बन्द हो जाने के कारण, जो कर्मकार के किसी कसूर की वजह से न हो, विच्छिन्न हो गई है ।"

धारा 2(ङङङ) का 1964 के उसी अधिनियम द्वारा लोप कर दिया गया था जिसके द्वारा धारा 25ख संशोधित की गई थी । धारा 25ख

का, जैसी कि वह 1964 के अधिनियम 36 के पूर्व थी, तत्समय विद्यमान धारा 2(ङङङ) को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से यह अर्थान्वयन किया जा सकता था कि किसी कर्मकार को एक वर्ष की अवधि के लिए नियोजक की सेवा में होना चाहिए था और धारा 25च के लागू होने के लिए यह आवश्यक था कि उसने एक वर्ष की संपूरित सेवा का दावा करने के पूर्व 240 दिनों से अन्यून अवधि तक कार्य कर लिया हो । इस न्यायालय ने सर इनेमल एंड स्टैपिंग वर्क्स लिमिटेड **बनाम** उनके कर्मकार [1964] 3 एस. सी. आर. 616 के मामले में ठीक यही विनिश्चय दिया था । इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था –

> "इस धारा (धारा 25च) के स्पष्ट शब्दों को देखने से ही यह प्रतीत होता है कि केवल वही कर्मकार जिसने नियोजक के अधीन एक वर्ष से अन्यून निरन्तर सेवा की हो, उसके फायदे का हकदार हो सकता है । निरन्तर सेवा धारा 2(ङङङ) में इस रूप में परिभाषित की गई है कि इससे अविच्छिन्न सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वह सेवा भी है जो केवल रूग्णता या प्राधिकृत छुट्टी या दुर्घटना या ऐसी हड़ताल के कारण जो अवैध न हो या तालाबन्दी या काम के ऐसे बन्द हो जाने के कारण जो कर्मकार के किसी कसूर की वजह से न हो, विच्छिन्न हो गई है । 'एक वर्ष' की निरन्तर सेवा से जो कुछ अभिप्रेत है वह धारा 25ख में परिभाषित किया गया है । इस धारा के अधीन जिस कर्मकार ने 12 कैलेंडर मासों की अवधि के दौरान किसी उद्योग में 240 दिनों से अन्यून की अवधि के लिए वास्तव में काम किया हो, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस उद्योग में सेवा पूरी कर ली है । ... अतः यह स्थिति स्पष्ट है कि 11 कैलेंडर मासों से कम की अवधि के दौरान इन दो व्यक्तियों ने 240 दिनों से अधिक अवधि के लिए काम किया था । हमारे विचार में इस बात से धारा 25ख की अपेक्षा पूरी नहीं होती है । किसी व्यक्ति के बारे में यह समझे जाने के पूर्व कि उसने किसी उद्योग में एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है, सर्वप्रथम यह दर्शित किया जाना होगा कि वह 12 कैलेंडर मासों से अन्यून की अवधि के लिए नियोजित किया गया था और इसके पश्चात् यह कि उसने उन 12 कैलेंडर मासों के दौरान 240 दिन से अन्यून की अवधि के लिए

काम किया था । जहां पर, जैसा कि इस मामले में है, कर्मकार 12 कैलेंडर मासों की अवधि के लिए नियोजित ही न किए गए हों, वहां इस बात की जांच करना अनावश्यक बन जाता है कि क्या उनके वास्तविक काम के दिन 240 या उससे अधिक थे ।"

1964 के अधिनियम 36 द्वारा इस स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया गया है । धारा 2(ङङङ) निरसित कर दी गई है और अब धारा 25ख(2) इस खंड से प्रारंभ होती है – "जहां कि कर्मकार एक वर्ष..... की कालावधि के लिए निरन्तर सेवा में नहीं रहा है ।" 1964 वाले अधिनियम 36 द्वारा किए गए ये परिवर्तन स्पष्ट रूप से यह उपबंध करने के लिए परिकल्पित प्रतीत होते हैं कि जिस कर्मकार ने किसी नियोजक के अधीन बारह मास की अवधि के दौरान दो से चासील दिनों से अन्यून अवधि के लिए वास्तव में काम किया हो, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह एक वर्ष की कालावधि के लिए निरन्तर सेवा में था, चाहे वस्तुतः वह एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निरन्तर सेवा में रहा हो या नहीं । यह बात पर्याप्त है कि उसने बारह मास की अवधि में दो सौ चालीस दिन काम किया है, यह जरूरी नहीं है कि वह नियोजक की सेवा में समूचे एक वर्ष के लिए रहा हो । अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि उषा कुमारी और मधु बाला भी उसी स्थिति में हैं जिसमें कि अन्य अपीलार्थी हैं ।"

11. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय **मोहन लाल** बनाम **मैसर्स भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का प्रबंधतंत्र**[1] वाले मामले में पैरा 10 और पैरा 12 में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"10. बहरहाल, इस बात पर जोर दिया गया कि धारा 25च इस मामले में पूर्णतः भिन्न कारणों से लागू नहीं होती । श्री मार्कन्डेय की दलील थी कि धारा 25च का सहारा लेने से पहले अविधिमान्य छंटनी का परिवाद करने की किसी कर्मकार की पात्रता की शर्त अवश्य पूरी होनी चाहिए । उनके अनुसार जब तक कि कर्मकार ने कम से कम एक वर्ष लगातार सेवा न की हो तब तक उसके संबंध में धारा 25च लागू नहीं होगी ।.....

12. उपधारा (2) में एक नितांत भिन्न स्थिति के लिए एक अन्य धारणात्मक कल्पितार्थ समाविष्ट है । इसमें ऐसी स्थिति की कल्पना

[1] [1982] 2 उम. नि. प. 8 = (1981) 3 एस. सी. सी. 225.

की गई है जिसमें कोई कर्मकार एक वर्ष या छह मास की अवधि के लिए उपधारा (1) के अर्थ में निरन्तर सेवा में नहीं रहा है, वहां उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह यथास्थिति एक वर्ष या छह मास की अवधि के लिए नियोजक के अधीन निरन्तर सेवा में रहा है यदि उस कर्मकार ने उस तारीख से जिसके निर्देश में गणना की जानी है, ठीक पूर्व के 12 कैलेंडर मास की अवधि के दौरान कम से कम 240 दिन उस नियोजक के अधीन वस्तुतः कार्य किया है । उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट तौर पर ऐसी स्थिति की कल्पना की गई है जहां कोई कर्मकार एक वर्ष या छह मास की अवधि के लिए उपधारा (1) में उपदर्शित धारणात्मक कल्पितार्थ के अनुसार निरन्तर सेवा में नहीं रहा है । ऐसी स्थिति में उसे एक वर्ष की अवधि के लिए निरन्तर सेवा में समझा जाता है यदि वह उपधारा (2) के खंड (क) में दी गई शर्तों को पूरा कर देता है । वे शर्तें हैं कि यदि उस तारीख से आरंभ करके जिसके निर्देश में संगणना की जानी है, जो कि छंटनी की दशा में छंटनी की तारीख है, ऐसी तारीख से ठीक पूर्व के 12 कैलेंडर मास की अवधि में कर्मकार 240 दिन की अवधि की सेवा कर चुका है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह अध्याय 5क के प्रयोजनों के लिए एक वर्ष की अवधि के दौरान निरन्तर सेवा में रहा है । उपधारा (2)(क) के प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कर्मकार एक वर्ष की अवधि तक सेवा में रहा हो । यदि वह एक वर्ष की अवधि तक सेवा में रहा है और यदि वह सेवा उपधारा (1) के अर्थ में निरन्तर सेवा है तो उसकी स्थिति में उपधारा (1) लागू होगी और उसकी स्थिति का उपधारा (2) के अंतर्गत आना आवश्यक नहीं है । उपधारा (2) ऐसी स्थिति की परिकल्पना करती है जिसमें उपधारा (1) लागू नहीं होती । उपधारा (2) इस तथ्य के बावजूद कि किसी कर्मकार ने एक वर्ष की अवधि की अविच्छिन्न सेवा नहीं की है किन्तु उसने उससे पीछे की और तथा सुसंगत तारीख से जो कि छंटनी की तारीख है, ठीक पूर्व के 12 कैलेंडर मास के दौरान 240 दिन की सेवा की है, उसे एक वर्ष की अवधि तक निरन्तर सेवा में मानने के लिए एक कल्पितार्थ का उपबंध करती है । दूसरे शब्दों में, उपधारा (2)(क) में अधिनियमित धारणात्मक कल्पितार्थ का सहारा लेने के लिए सबसे पहले सुसंगत तारीख यानी सेवा के पर्यवसान की तारीख जिसके बारे में छंटनी के रूप में परिवाद किया गया है, अवधारित करना आवश्यक है । वह तारीख अभिनिश्चित करने के बाद पीछे की

> और छंटनी की तारीख से ठीक पहले 12 मास की अवधि को देखिए और अभिनिश्चित कीजिए कि क्या 12 मास की अवधि के भीतर कर्मकार ने 240 दिन की सेवा की है । यदि उपधारा (2)(क) में अधिनियमित धारणात्मक कल्पितार्थ के अनुसरण में इन तीन तथ्यों का उत्तर कर्मकार के पक्ष में हां में मिल जाता है तो यह उपधारणा करनी होगी कि वह कर्मकार एक वर्ष की अवधि तक निरन्तर सेवा में रहा है और वह धारा 25च में अधिनियमित पात्रता की अर्हता पूरी करेगा । विशुद्ध रूप से व्याकरणिक अर्थान्वयन के आधार पर, यह दलील कि धारा 25ख की उपधारा (2) का सहारा लेने के लिए यह दिखाया जाए कि कर्मकार एक वर्ष की अवधि की निरन्तर सेवा में रहा है, उपधारा (2) को निरर्थक बना देगी और सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद विधान को इस अननुज्ञेय उपधारणा से धक्का पहुंचेगा । यह धारणा पहले तो उपधारा (2) के विशुद्ध व्याकरणिक अर्थान्वयन के आधार पर अस्वीकार करनी होगी और यदि किसी दशा में ऐसा अर्थान्वयन किया जाए तो इसे इस आधार पर अस्वीकार करना होगा कि यह उपधारा (2) के निरर्थक बना देगी । उपधारा (2) की भाषा इतनी स्पष्ट और असंदिग्धार्थी है कि हमने जो निर्वचन इसका किया है, उसे न्यायोचित ठहराने के लिए कोई पूर्वोदाहरण आवश्यक नहीं है । ..... "

इस न्यायालय द्वारा अधिकथित पूर्वोक्त सिद्धांतों और उच्च न्यायालय के सुस्पष्ट निष्कर्षों को भी ध्यान में रखते हुए, इस मामले में के अपीलार्थी की दलील विधि की दृष्टि से कायम रखे जाने योग्य नहीं है चूंकि अवधि के संगणना करने के संबंध में उपबंध बहुत स्पष्ट हैं ।

12. इसके अतिरिक्त, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि यद्यपि अपीलार्थी ने भिन्न-भिन्न संकर्मों/स्कीमों, अर्थात् रबी और खरीफ के अधीन वर्ष 1991 तक इस रूप में कार्य किया था और उसने केवल 1980, 1981, 1982 और 1986 से 1989 तक के वर्षों के दौरान एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे किए थे किन्तु उसने वर्ष 1990 में केवल 195 दिनों और अपनी सेवोन्मुक्ति के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में 19.5 दिनों के लिए कार्य किया जो कि सेवोन्मुक्ति की तारीख से पूर्व के 12 कैलेंडर मासों की अवधि में 240 दिनों तक कार्य करने की अपेक्षा से कम है, इसलिए वह अधिनियम की धारा 25च के उपबंधों का फायदा लेने के लिए हकदार नहीं है तथा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने प्रस्तुत अपीलार्थी की अपील खारिज करके सही किया था ।

13. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर नहीं हैं । अपील खारिज की जाती है और पक्षकार अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे ।

अपील खारिज की गई ।

ग्रो.

[2018] 3 उम. नि. प. 462

कविता चंद्रकांत लखानी

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य

24 अप्रैल, 2018

न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 366 – विवाह आदि करने को विवश करने के लिए स्त्री का अपहरण – अभियुक्त के विरुद्ध धारा 366 के अधीन अपराध को लागू करने के लिए स्त्री के मात्र अपहरण की बात को साबित करना ही पर्याप्त नहीं होगा, अपितु यह साबित करना भी आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा स्त्री का अपहरण उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए विवश करने अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या विलुब्ध करने के आशय से किया गया था ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 366 – विवाह आदि करने को विवश करने के लिए स्त्री का अपहरण – अपहरण स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक होना – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह दर्शित होता हो कि अपीलार्थी-अभियोक्त्री और प्रत्यर्थी-अभियुक्त के बीच प्रेम-संबंध थे और अभियुक्त उसे बलपूर्वक अपने मकान पर ले गया तथा विवाह करने की बात को लेकर उसके साथ मारपीट की और अभियोक्त्री द्वारा दर्ज रिपोर्ट में मारपीट के अभिकथन करने के पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर उत्पीड़न और लज्जा भंग करने का अभिकथन सोच-विचार करने के पश्चात् किया गया हो, वहां यह साबित न होने पर कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा अभियोक्त्री का अपहरण उसके साथ बलपूर्वक विवाह करने या उसके साथ अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करने के आशय से किया